संख्या : 741 /43–2–2012

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक :29 मई, 2012

विषयः– लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के बिन्दु संख्या–11, 12 व 13 में उल्लिखित विवरणों के अन्तर्गत सूचनायें अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित विभिन्न 16 श्रेणियों की सूचनाओं को विशेष रूप से मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना प्रत्येक लोक प्राधिकरण की विधिक बाध्यता है। **अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के बिन्दु संख्या–11 के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण व उसके अन्तर्गत अभिकरणों के वार्षिक आय–व्यय का उल्लेख किया जाना है जिसमें प्राधिकरण में चल रही समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय एवं किये गये संवितरण का उल्लेख सम्मिलित है। बिन्दु संख्या–12 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों में सहायिकी से चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण दिया जाना है जिसमें आवंटित राशि, लाभार्थियों के ब्यौरे, लाभार्थी की पात्रता, आवेदन का प्रारूप, आवेदन की प्रकिया, आवेदन शुल्क, अनुदान सहायता के विवरण की प्रकिया आदि का विवरण दिया जाना है। बिन्दु संख्या–13 के अन्तर्गत ऐसे प्राप्तकर्ताओं का विवरण दिया जाना है जिनको लोक प्राधिकरणों द्वारा रियायतें, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये गये हों। इन विवरणों में प्राप्तकर्ताओं के नाम व पता, कार्यकम का नाम, उद्देश्य, पात्रता का आधार, प्राप्त करने की प्रकिया, निर्धारित समय सीमा, आवेदन का प्रारूप, आवेदन शुल्क, वैधता की तारीख आदि का भी उल्लेख होना चाहिए।**

2– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइटों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत अपलोड की गई सूचनाओं में **बिन्दु संख्या–11,12 व 13** में उल्लिखित सूचनायें उपरोक्तानुसार पूर्ण रूप से अपलोड की गयी हैं।

भवदीय,

28-5-12

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।